>

Title: Regarding killing of peacock in the country.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान मोर हत्या के बारे में आकर्षित करना चाहती हूं। भारतीय संस्कृति में मोर का विशिष्ट स्थान है। धार्मिक मान्यता मुजब मोर शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन है। पक्षियों की गणना में वह पक्षीराज है। राष्ट्रीय मान्यतानुसार भारतीय संविधान ने उसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया है। ग्रीक, इजिप्ट, सिरीया इत्यादि देशों की संस्कृति में भी मोर का मानभरा स्थान है। पड़ौसी देश बर्मा ने भी उसे राष्ट्रीय दर्जा दिया है। मोर के सौन्दर्य से सभी चिर-परिचित हैं। उसके पंख तो और भी लाजवाब हैं, इस सौन्दर्य मोहने मोर पंख का व्यापारीकरण कर दिया है।

सभापति महोदय, देश के कई स्थानों में मांगलिक एवं सामाजिक समारोह में भी मोर मांस खाने का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मोर पंख भी निर्दयता से निकाले जाते हैं और विदेशों में भेजे जाते हैं। ये 1500 रुपए में बेचे जाते हैं। जंगल में रहने वाले असामाजिक तत्व भी मोर के बच्चों की 400-500 रुपए में खरीदी एवं बिक्री करते हैं और मोर के अंडे को कृत्रिम तरीके से फलीभूत करके, मोर के पंख को निकाल कर बेच देते हैं एवं मांस भक्षण करते हैं। इतना ही नहीं, मोर पंख के लिए जहर का भी प्रयोग किया जाता है।

सभापति महोदय, देश भर में मोर मौत हत्या के संदर्भ में हुए सर्वेक्षण अनुसार पांच प्रतिशत पंख और मांस हेतु मोर हत्याएं हुई हैं और आठ प्रतिशत अकस्मात कुत्तों के हमले, बिजली करंट इत्यादि से हुई हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, कॉलम 44 के अनुसार मोर पंख का व्यापार करने की छूट है, जिससे शिकारी बिना डर से मोर हत्याएं कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मोर पक्षियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि सरकार मोर हत्याएं बंद करने हेतु कठोर कानून बनाए और निर्दयी तरीके से हो रही मोर हत्याएं बंद करने हेतु उचित कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: श्रीमती जयश्रीबेन पटेल जी ने जिस विषय पर बोला है, उस विषय के साथ मैं भी अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।